आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
Email: legal.cce21@gmail.com, Ph: 0141-2700629

क्रमांकःएफ.16 ( ) विधि/आकाशि/जेपी/2023/151 दिनांक : 19/05/2023

समस्त सहायक निदेशक
कॉलेज शिक्षा /
समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,.
कॉलेज शिक्षा

विषयः– दिनांक 20.5.2023 शनिवार को आयोजित न्यायिक प्रकरणों की ऑनलाईन कार्यशाला में रिकॉर्ड सहित उपस्थिति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग/महाविद्यालय के न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी एवं प्रतिरक्षण कराने हेतु विभाग के सहायक निदेशकों एवं प्राचार्यगण की विडियों क्रान्फेसिंग के माध्यम से आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.5.2023 शनिवार को मध्याहन् 12.00 बजे कार्यशाला आयोजित की जायेगी। कार्यशाला में आप न्यायिक प्रकरणों का निम्न बिन्दुओ के अनुसार विवरण तैयार करके उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. न्यायिक प्रकरण की रजिस्ट्रेशन संख्या, वर्ष
2. न्यायालय का नाम
3. न्यायिक प्रकरण का प्रकरणवार विवरण–प्रकरण की विषयवस्तु , प्रकरण में की गई प्रार्थना आदि।
4. न्यायिक प्रकरणों की अद्यतन स्थिति।

कार्यशाला में आयुक्त महोदय एवं विधि प्रकोष्ठ के अधिकारी प्रकरणों की जानकारी सम्बन्धित सहायक निदेशक एवं प्राचार्य महाविद्यालय से प्राप्त कर प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत होंगे। विड़ियों क्रांन्फेसिंग में प्राचार्य की ही उपस्थिति आवश्यक है। आयुक्त महोदय की अनुमति से ही प्राचार्य के स्थान पर अन्य उपस्थित हो सकेगे। विभाग की आई.टी. शाखा द्वारा विड़ियों क्रांन्फेसिंग का लिंक समस्त सहायक निदेशक के कार्यालयों एवं महाविद्यालयों की ई–मेल आई डी पर प्रेषित की जावेगी।

अतः कार्यशाला से पूर्व प्रत्येक न्यायिक प्रकरण की उक्त बिन्दुओं के अनुसार विवरण सहायक निदेशक कार्यालय एवं महाविद्यालय के स्तर पर तैयार रखना सुनिश्चित करें।

(गोपाल राम बिरड़ा)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

क्रमांकःएफ.16 ( ) विधि/आकाशि/जेपी/2023/152 दिनांक : 19/05/2023

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजि सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
04. प्रभारी, आई.टी. शाखा, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुये सभी क्षैत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, समस्त प्रभारी अधिकारियों एवं समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान, को भी विड़ियों क्रांन्फेसिंग का लिंक भेजकर कार्यशाला का आयोजन करावे।
05. रक्षित पत्रावली।

(गोपाल राम बिरड़ा)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर